शंकर लाल बनाम भूमिधारी
प्रा0 पत्र सं0– 24/2023
अ0धा0 128 एलआरएक्ट

16/X/25 पत्रावली आज वास्ते आदेश/निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राजस्व ग्राम तपीपल्या स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 700 रकबा 0.70 हैक्टे0, खसरा नं0 708 रकबा 0.51 हैक्टे0, खसरा नं0 833 रकबा 0.79 हैक्टे0, खसरा नं0 839 रकबा 0.92 हैक्टे0 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, आदेश पारित कर राजस्व कार्मिकों द्वारा सीमाज्ञान करवाया है, अतः मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2025 पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम तपीपल्या स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 700 रकबा 0.70 हैक्टे0, खसरा नं0 708 रकबा 0.51 हैक्टे0, खसरा नं0 833 रकबा 0.79 हैक्टे0, खसरा नं0 839 रकबा 0.92 हैक्टे0 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जिसका बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कराने के प्रार्थीगण को विधिक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रींगस को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम तपीपल्या स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 700 रकबा 0.70 हैक्टे0, खसरा नं0 708 रकबा 0.51 हैक्टे0, खसरा नं0 833 रकबा 0.79 हैक्टे0, खसरा नं0 839 रकबा 0.92 हैक्टे0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2025 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें, साथ ही पत्थरगढ़ी की आड़ में किसी भी प्रचलित रास्ते को अवरुद्ध नही किया जावें। तहसीलदार रींगस को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

16/X/25
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2025.12.30 16:40:15 IST
Reason: SelfAttested